भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	[illegible]
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	:	भूमि खसरा संख्या–[illegible]
5.	माप की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.2[illegible] हेक्टेयर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/तालाब	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रुपया 30,2[illegible]/-
11.	मालियत	:	रुपया 1,70,000/-
12.	स्टाम्प	:	रुपया 17,000/-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 4 [illegible]

चौहद्दी

खसरा न0 81

पूरब	: खसरा संख्या–86
पश्चिम	: खसरा संख्या–79
उत्तर	: खसरा संख्या–80
दक्षिण	: खसरा संख्या–82

प्रथम पक्ष की संख्या–02 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) राम दयाल व (2) अशर्फी लाल, पुत्रगण झब्बा, निवासीगण –ग्राम हटानपुर सेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम किशन वर्मा निवासी–एल–1/111, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>विक्रय विलेख</u>

यह विक्रय विलेख (1) राम दयाल व (2) अशर्फी लाल, पुत्रगण बच्चा, निवासीगण –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम किशान वर्मा निवासी–एल–1/111, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

500 Rs.

५०० रु. R 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

रहे श्री विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या-31 कुल रकबा 0.016 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना- बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, के मालिक, काबिज व मालिक हैं तथा अद्यतन सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खाता खतौनी क्रम संख्या 00202 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, अतः भूमि विक्रेतागण को विक्रय की जरूरत है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूर्ण होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को

500Rs.

५०० रु.

R$ 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व नहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद या वस्तु विषय नहीं है, न ही पूर्व

500 Rs.

५०० रु. R 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप रु0 30,240/- (रुपया तीस हजार दो सौ चालिस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. R^{s}500

भारत

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची में अंकित किया गया है, को बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके

500Rs

NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रूपये FIVE HUNDRED RUPEES

प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उनके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उनके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 220497

यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय खर्चा व हर्जा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर लोनी अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर निर्धारित है परन्तु विक्रीत भूमि 5 बिस्वा से कम है अतः आवासीय दर रू0 1100/- प्रति वर्गमीटर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.016 हेक्टेयर यानि 160 वर्गमीटर की मालियत रू0 1,76,000/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार मालियत पर ही रू0 17,600/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण

विक्रय पत्र

[illegible] 1,76,000.00 [illegible] 2,500

[illegible]

[illegible]

[illegible] दिनांक [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

7/4/2007

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

[illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

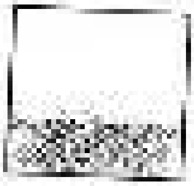

[illegible]

[illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

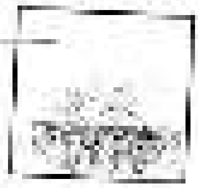

क्रेता

[illegible]

[illegible]

[illegible]

निवासी [illegible]

एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–81 रकबा रकबा 0.016 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेतागण ने रू0 30,240/– (रूपया तीस हजार दो सौ चालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या– 416363, 416364

दिनांकित 07.04.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]
व श्री [illegible] सिंह
पुत्र श्री [illegible] सिंह
पेशा [illegible]
निवासी [illegible]
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गये हैं।

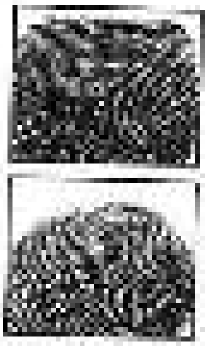

के.के. शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]/4/2007

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 30,240/– (रुपया तीस हजार दो सौ चालिस मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करता है।

नोट : पृष्ठ संख्या–11 पर चेक संख्या पेन से लिखी है।

लखनऊ

दिनांकः 07.04.2007

गवाह

1.

विक्रेतागण

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)

एडवोकेट

[illegible]

Registration No 3502 Year : 2017 Book No 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

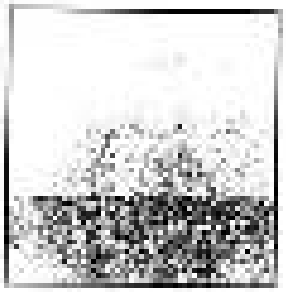

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स।

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता राम दयाल पुत्र छम्मा, निवासी–ग्राम रसूलपुर ओकली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

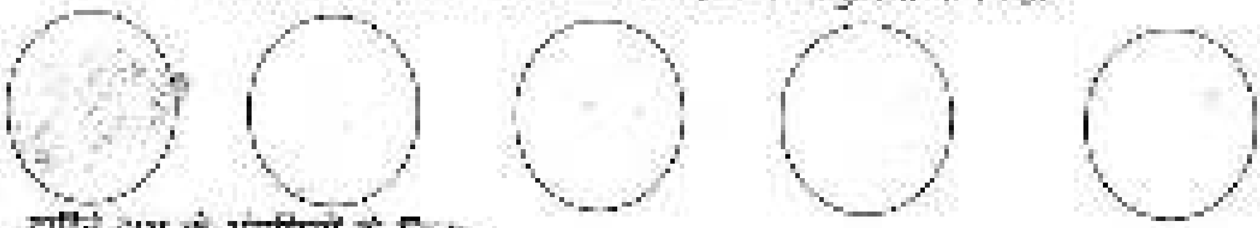

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता:– अशर्फी लाल, पुत्र छम्मा, निवासी –ग्राम रसूलपुर ओकली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

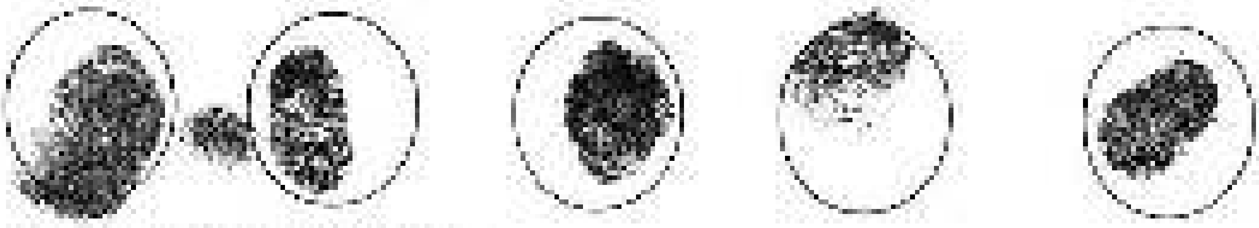

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:–

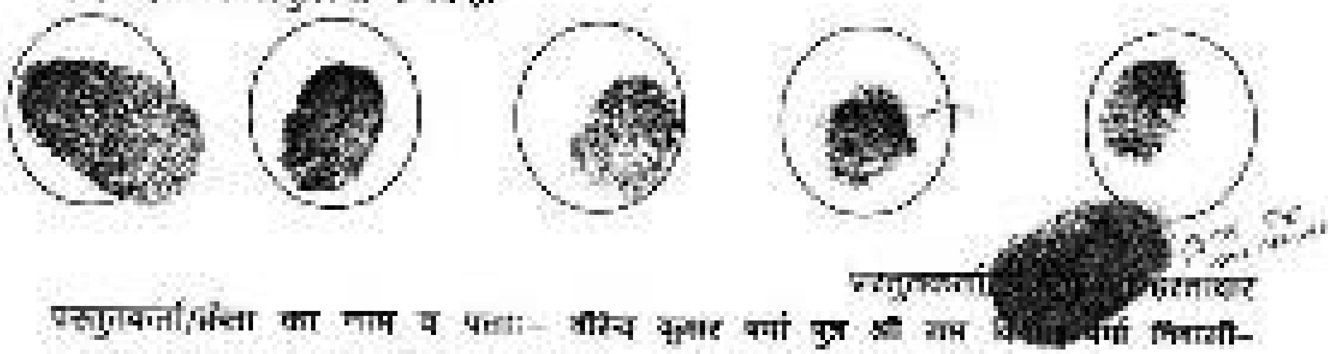

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता:– वीरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र श्री राम ... वर्मा निवासी–एल–1/11, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:

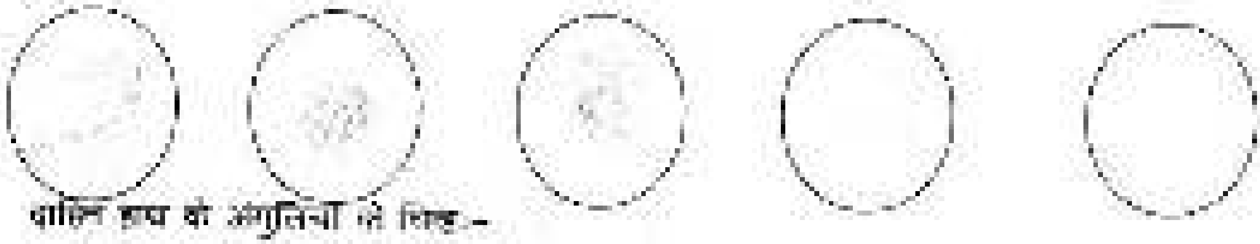

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

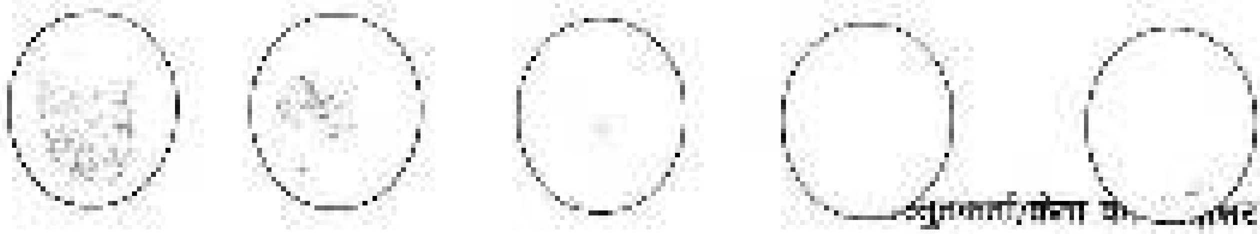

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता के हस्ताक्षर

ক্রেতা

Registration No. 4652 Year 2027 Book No. I

0001 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

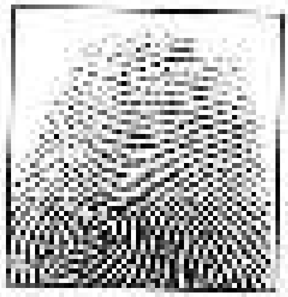

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

विक्रेता [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

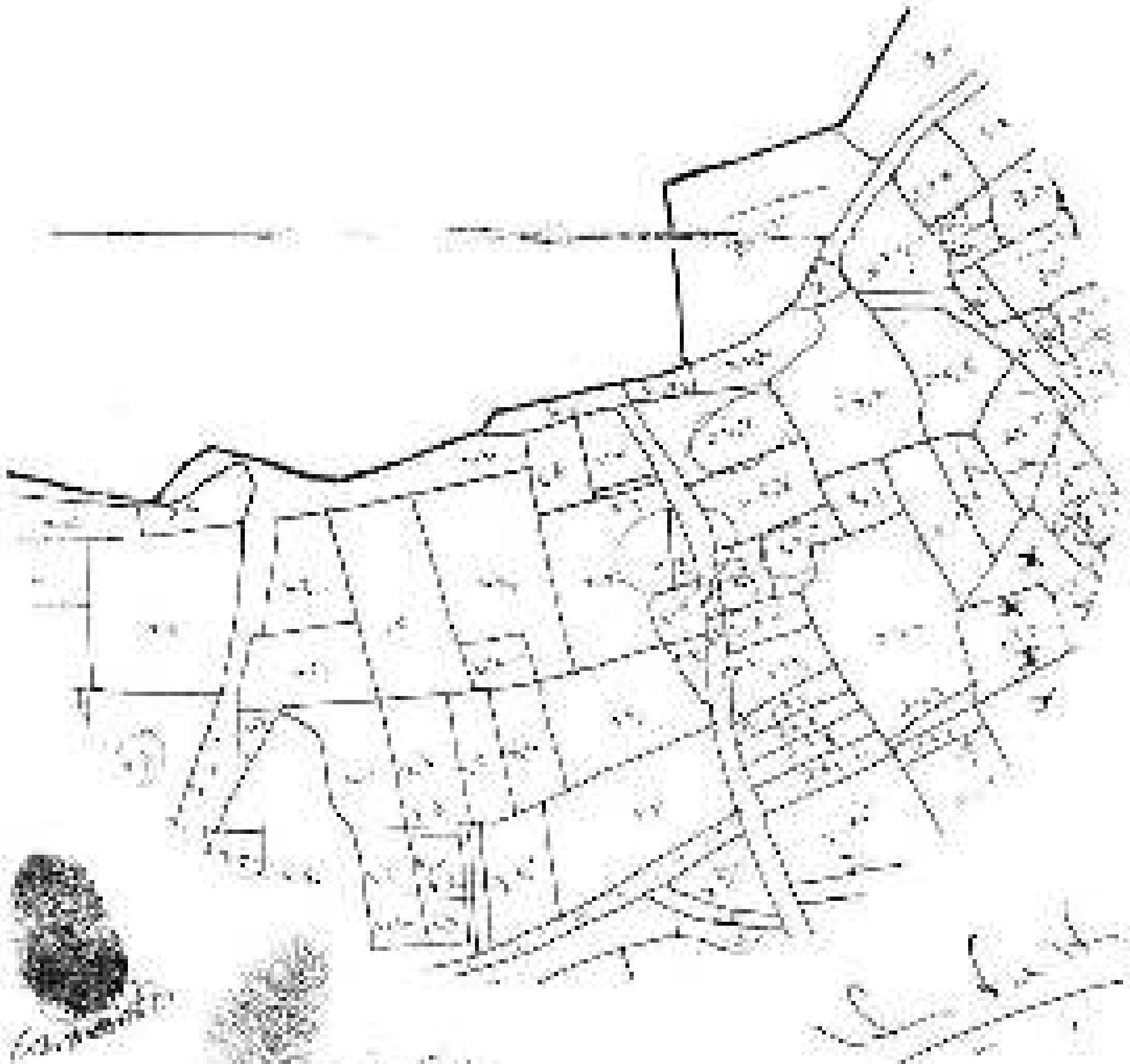

आज दिनांक 07/04/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8260

पृष्ठ सं 359 से 386 पर क्रमांक 3662

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

7/4/2007